न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 308/16

बउनवान

अरूणकुमार पुत्र रामस्वरूप जाति–ब्राहमण साकिन अन्ता
तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,अन्ता **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री कृष्णकान्त शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 15.01.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 14.03.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–अन्ता, तहसील–अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 75 रकबा 0.48 है0 किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर जप्ती,बेदखली, 768/– रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पत्रवली में अपीलांट की दिनांक 18.2.2016 को उपस्थित दर्ज है, लेकिन आगामी पेशी अपीलांट को नहीं थी। उसके भाई का पटवारी हल्का से विवाद चल रहा है, इसलिये अपीलांट को आदतन अतिक्रमी बताया गया है। जबकि उक्त आराजी पर कई लोगो के मकान बने हुये है, उन्हे कभी नोटिस नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई किये आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता का आदेश दिनांक 14.3.2016 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है। अपीलांअ अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था किन्तु उसे आगामी पेशी नहीं दी गयी तथा बाद में

एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है, जबकि विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। हल्का पटवारी ने रंजिशवश उसके विरूद्व झूठी रिपोर्ट पेश की है, इसी आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्व मनमाना एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 415/15 निर्णय दिनांक 23.4.2015 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 415/14 निर्णय दिनांक 23.4.2015 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 92/16 में पारित आदेश दिनांक 14.03.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.02.06 10:59:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: